म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./भा.भु.यो/06 विविध/2018/3755 भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

प्रति

1. संयुक्त/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय– ..... (समस्त)

2. सचिव
कृषि उपज मंडी समिति – .....
जिला – ..... (समस्त)

विषय :– भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2018–19 में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु केन्द्र निर्धारण बाबत्।

संदर्भ :– संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय का पत्र कमांक 2712 भोपाल दिनांक 03.04.2019।

भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2018–19 में चना, मसूर एवं सरसों की उपार्जन हेतु कार्यवाही बाबत् आपको पत्र कमांक 3715 दिनांक 03.04.2019 से समुचित निर्देश दिये गये है। उपरोक्त के साथ ही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा अपने पत्र कमांक 2712 भोपाल दिनांक 03.04.2019 से उपार्जन हेतु जिले निर्धारित किये जाकर आवश्यक कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किये गये है (छायाप्रति संलग्न)

मुख्य रूप से चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु मंडी समिति/उप मंडियों में स्थापित केन्द्रों पर सुविधाओं हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करा जावें।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./भा.भु.यो/06 विविध/2018/3756 भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल।
2. कलेक्टर – जिला ..... (समस्त)।
3. अवर सचिव, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by CamScanner

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय

घ ब्लाक, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004 मध्यप्रदेश

क्रमांक 2712 भोपाल, दिनांक 8.4.19

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय- भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु केन्द्र निर्धारण बाबत्।

संदर्भ- कृषि विभाग का पत्र क्र. बी-16-01/2019/14-2 दिनांक 12.02.2019 एवं दिनांक 15.03.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित संलग्न पत्रों का अवलोकन हो, जिसमें भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाना है, इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

1. चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु निर्धारित जिले-
   - चना (समस्त जिलों में)।
   - मसूर- (37 जिले- राजगढ़, सतना, डिंडौरी, विदिशा, सागर, रीवा, नरसिंहपुर, दतिया, रायसेन, पन्ना, दमोह, मण्डला, जबलपुर, शाजापुर, अनूपपुर, सिवनी, अशोकनगर, कटनी, मन्दसौर, आगर-मालवा, सीधी, सिंगरौली, सीहोर, छतरपुर, उमरिया, शिवपुरी, शहडोल, होशंगाबाद, भिण्ड, उज्जैन, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, रतलाम, बैतूल, नीमच, हरदा एवं धार) एवं
   - सरसों (38 जिले- भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, मन्दसौर, श्योपुरकलां, ग्वालियर, बालाघाट, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, डिंडौरी, मण्डला, दतिया, रीवा, सिंगरौली, आगर-मालवा, गुना, पन्ना, रतलाम, सतना, अशोकनगर, शहडोल, राजगढ़, बड़वानी, अनूपपुर, सीधी, जबलपुर, शाजापुर, कटनी, उज्जैन, उमरिया, रायसेन, सागर, होशंगाबाद, दमोह, छिन्दवाड़ा, बैतूल एवं हरदा)
2. उपार्जन अवधि-
   - दलहन एवं तिलहन का उपार्जन 25 मार्च, 2019 से 31 मई, 2019 की अवधि में किया जाएगा।
   - उपार्जन के साप्ताहिक कार्य दिवस निम्नानुसार होंगे:-
   - कृषकों से उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) किया जाएगा; तथा
   - शनिवार एवं रविवार को सप्ताह में शेष स्कंध का परिवहन, भण्डारण, लेखा का मिलान तथा गुणवत्ता विवाद के आधार पर अस्वीकृत स्कंध का अपग्रेडेशन/वापसी का निराकरण किया जाएगा।
   - यदि किसी केन्द्र पर अधिकांश कृषकों के द्वारा विक्रय पूर्ण कर लिया गया हो तो संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा निर्धारित 'Exit Protocol' के अनुरूप उपार्जन कार्य 2 सप्ताह बाद स्थगित किया जा सकेगा।
3. उपार्जन संस्थाओं/स्थल का निर्धारण-

   3.1 उपार्जन केन्द्र स्थल का निर्धारण जिला उपार्जन समिति द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा:-

   i उपार्जन केन्द्र कृषि उपज मंडी, उप मंडी एवं गोदाम परिसर पर खोले जाएं;

   ii केन्द्र पर पूर्ण ग्राम ही टैग की जाए;

दूरभाष कार्या.: 0755–2551479, ई–मेल : dirfood@mp.nic.in

Scanned by CamScanner

iii प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक केन्द्र खोला जाए;

iv उपार्जन केन्द्र कृषि उपज मंडी/उप मंडी/गोदाम स्तर पर भी स्थापित किए जाने के कारण उपार्जन केन्द्र से ग्राम की दूरी के बंधन नहीं है।

v कृषकों की संख्या यथासंभव 200 से 1750 तक रखी जाए, ग्राम की पूर्णत: संख्या के दृष्टिगत संचालक, खाद्य कृषक संख्या में कमी अथवा वृद्धि 50% तक कर सकेगें;

vi अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जहां चना, मसूर एवं सरसों के किसान पंजीयन कम है, वहां 40 किसान पंजीयन होने पर अथवा 150 मे.टन उपार्जन अनुमान पर ही उपार्जन केन्द्र खोला जा सकेगा।

vii सामान्यत: किसी भी केन्द्र पर न्यूनतम 3,000 तथा अधिकतम 10,000 मे.टन उत्पादन अनुमान अनुसार किसान संलग्न किए जाएं; तथा

viii चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन कार्य एक ही केन्द्र पर किया जाएगा।

3.2 केन्द्रों का संचालन निम्न पात्र संस्थाऐं कर सकेंगी :-

i जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बध्द मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी संस्थाओं/आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थायें; अथवा

ii आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सहकारी संस्थाएं के आदेश क्र. विपणन/2013/869, दिनांक 27.05.2013 में उल्लेखित विकासखण्ड स्तरीय विपणन सहकारी संस्थायें।

3.3 समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु जारी नीति दिनांक 14.01.2019 के अनुसार ही चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन कार्य हेतु संस्थाओं की पात्रता का निर्धारण जिला उपार्जन समिति द्वारा किया जाए।

3.4 सामान्यत: एक संस्था द्वारा एक ही उपार्जन केन्द्र का संचालन किया जाएगा, किन्तु प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा एक संस्था को अधिकतम तीन उपार्जन केन्द्रों (गेहूं उपार्जन केन्द्रों को छोड़कर) का दायित्व सौंपा जा सकेगा।

4. उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक भौतिक संसाधन

4.1 प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर संचालन करने वाली संस्था के द्वारा निम्नानुसार भौतिक संसाधन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी:-

i हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, एवं निर्बाध विद्युत/ जनरेटर सुविधा;

ii इलेक्ट्रानिक उपकरण- कम्प्यूटर, प्रिन्टर, डोंगल, स्केनर, UPS, लेपटाप, बैटरी, आदि जो चालू अवस्था में हों;

iii जन-सुविधाएं यथा- दरियां, टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली आदि;

iv उपार्जन उपकरण यथा- Analog Moisture Meter (केलिब्रेटेड), बड़ा छन्ना, पंखे, परखी आदि;

v सूचना पटल, उपार्जन बैनर तथा सामान्य जानकारी - FAQ Sample, एफएक्यू गुणवत्ता का मापदंड, भुगतान एवं टोल-फ्री नम्बर का प्रदर्शन;

vi सुरक्षात्मक सुविधाएं - तिरपाल, कवर, अग्निशमन यंत्र, रेत, बाल्टियां, first-aid box आदि; तथा

Scanned by CamScanner

vii सम्बध्द वे-ब्रिज एवं न्यूनतम 4 बड़े इलेक्ट्रानिक तौल कांटे।

4.2 प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर निम्नानुसार निर्धारित क्वालिफिकेशन के मानव संसाधन की उपलब्धता केन्द्र संचालन करने वाली संस्था द्वारा की जाएगी :-

i केन्द्र हेतु नामित अथवा नियोजित प्रबंधन प्रभारी;

ii संस्था द्वारा नियोजित डाटा एन्ट्री आपरेटर जो कि CPCT अथवा डिप्लोमा/डिग्रीधारी व्यक्ति हों;

iii तौल-कांटे संचालन करने हेतु आवश्यक संख्या में तुलावटी एवं हम्माल;

iv वे-ब्रिज की दशा में नियोजित/नामित वे-ब्रिज प्रभारी;

v उपार्जन एजेंसी द्वारा नियोजित गुणवत्ता सर्वेयर; तथा

vi अधिक उपार्जन मात्रा की संभावना वाले केंद्रों में उपार्जन मात्रा के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों, तौल-कांटों, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था समिति द्वारा स्वयं की आय/कमीशन में से सुनिश्चित की जाएगी।

- प्रत्येक केन्द्र पर (औसतन 100 मे.टन की) दैनिक खरीदी हेतु 4 कैलिब्रेटेड तौल कांटे एवं उन पर MPSCSC द्वारा निर्धारित संख्या तुलावटी की संख्या केन्द्र संचालन करने वाली संस्था के द्वारा किया जाना है।

5. उपार्जन केन्द्र स्थापना की कार्यवाही DSO login से गेहूं उपार्जन में केन्द्र निर्धारण अनुसार ही की जाएगी।

6. चना, मूसर एवं सरसों के उपार्जन हेतु मंडी/उप मंडी में स्थापित केन्द्रों पर किसान की सुविधा हेतु आवश्यक व्यवस्थाऐं कृषि उपज मंडियों/उप मंडियों द्वारा की जाए।

7. चना, मूसर एवं सरसों के उपार्जन की मॉनीटरिंग जिला स्तर पर नोडल अधिकारी उप संचालक, कृषि रहेंगे, जिनके द्वारा उपार्जन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाएगा।

8. चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन के संबंध में शेष कार्यवाही किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग तथा उपार्जन एवं भंडारण एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशानुसार संपादित की जाए।

उक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

03/04/19

(श्रीमन् शुक्ला)
संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner